195

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर – दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर, 1995 (अग्रहायण 1, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री जगसुरिया अहिरवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(2) श्री दुलीचन्द अहेरवार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(3) श्री सुधीर मुखर्जी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(4) श्रीमती ज्योत्सना देवी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(5) श्री प्रेम सिंह सोलंकी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
(6) श्री मार्तण्ड सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य
(7) श्री रामेश्वर शुक्ल "अंचल", सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार
(8) श्री फज़ल ताबिश, सुप्रसिद्ध शायर

निधन उल्लेख के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित की गई.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बी.आर.यादव, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे.

4. अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

5. नियम 267-क के अधीन अगस्त-सितम्बर, 1995 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

6. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री गौरीशंकर बिसेन, बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर के होल्कर महाविद्यालय के दो छात्रों द्वारा रेगिंग के भय से आत्महत्या किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, उज्जैन जिले की सेठ गोविन्दराम शुगर मिल के प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों एवं कृषकों की लंबित राशि का भुगतान न किये जाने की ओर राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. सभापति तालिका की घोषणा

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 21 नवम्बर, 1995